जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-05.05.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने व धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 03.05.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत वादिया ने अभियुक्तगण द्वारा वादिया को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये धर्मांतरण का दबाव बनाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत थाना झिंझाना पुलिस को अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनाँक 04.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने, जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.हारुन पुत्र बाबू उर्फ गुंगा निवासी ग्राम भडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.गुलजार पुत्र सफिया निवासी ग्राम भडी थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रवि पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम भिक्का माजरा थाना बाबरी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 12,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2014 में अभियुक्तगण 1.वीरेन्द्र पुत्र निर्मल 2.देवीदास पुत्र निर्मल 3.बाबूराम पुत्र रामख्याल 4.अनिल पुत्र सोहनलाल निवासीगण मौहल्ला रेत्ती थाना थानाभवन जनपद शामली 5.सुरेश पुत्र दलीप 6.सलेकचन्द पुत्र रामख्याल निवासीगण मौहल्ला हाफिज दोस्त थाना थानाभवन जनपद शामली 7.रविन्द्र पुत्र दयानन्द निवासी मौहल्ला झिंझाने वाला थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 413/2024 धारा 147/341 भादवि व 07 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण 3,00-3,00/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2001 मे अभियुक्त नदीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला आलदरम्यान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 316/2001 धारा 292/293 भादवि व 52/63/68 कॉपीराइट एक्ट व 06 चल चित्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 05.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI